समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प भोपाल

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/0394 निगरानी कमांक /पी.बी.आर./2017

शैफाली सिजारिया पत्नी श्री जीवनदास
निवासी 42, नीम रोड, पीरगेट
भोपाल

.... आवेदक

विरूद्ध

1. उमा माहेश्वरी, पुत्री श्री डी.पी.माहेश्वरी
2. श्री योगेश मालपानी आत्मज श्री एम.डी. मालपानी
   निवासीगण– 107, शांति नगर कालोनी,
   बैरसिया रोड, भोपाल

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 28.11.2017 अंतर्गत प्रकरण कमांक 164/अपील/16–17 पारित व्दारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हुजूर, जिला भोपाल पक्षकारगण उमा माहेश्वरी व अन्य विरूद्ध शैफाली सिजारिया ।

आवेदक की ओर से निवेदन है कि '–

यह कि प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक की भूमि ग्राम बैरागढ चीचली तहसील हुजूर जिला भोपाल मे राजस्व खसरा कमांक 278/4/6/2 क्षेत्रफल 0.04 हेक्टर के रूप मे विद्यमान है जो उसकी स्वयं की संपत्ति होकर राजस्व अभिलेखो मे उसके नाम बहैसियत भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी के रूप मे इंद्राज है। इस भूमि का आवेदक ने बटान माननीय तहसीलदार महोदय ने तहसील हुजूर जिला भोपाल के माध्यम से प्रकरण कमांक 14/अ–3 /11–12 व्दारा कराया था जिसमे माननीय तहसीलदार महोदय ने आदेश दिनांक 31.12.2011 व्दारा आवेदक का बटान स्वीकृत किया था एवं स्वीकृत बटान वाले स्थल पर भूमि कय करने के समय से आज तक आवेदक का शांतिपूर्वक अधिपत्य भूमिस्वामी स्वत्व के अधीन विद्यमान है।

यह कि अनावेदकगण व्दारा आवेदक के उक्त बटान आदेश को वर्तमान समय मे माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील मे इस आधार पर चुनौती दी कि बटान कराते समय सहस्वामी होने पर भी उन्हे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया। उनके व्दारा यह भी व्यक्त किया गया कि उन्होने अपनी भूमि के बटान हेतु एक प्रकरण तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था जो प्रकरण कमांक 3 /अ–3/15–16 के रूप मे पंजीबद्ध हुआ था जो आदेश दिनांक 8.5.2017 व्दारा इस आधार पर निरस्त किया गया कि भूमि पर बटान पूर्व से स्वीकृत होने से वर्तमान प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है। अनावेदकगण ने इस स्तर पर आदेश दिनांक 8.5.2017 [illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/2018/394

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-02-19	आवेदक अधिवक्ता श्री अतुल धारीवाल एवं अनावेदक की ओर से श्री अविनाश मालवीय अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो। उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	